न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/1813/2003/चितौडगढ

1. छोगा पुत्र मोती गुर्जर मृतक जरिये वारिसान–
1/1. रतन पुत्र छोगा गुर्जर निवासी सामरी तहसील व जिला चितौडगढ
1/2. मु. फेफी पुत्री छोगा पत्नी अमरचन्द निवासी सामता तहसील रामगढ जिला चितौडगढ

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र छोगा गुर्जर निवासी सामरी तहसील चितौडगढ
2. भैरूलाल पुत्र छोगा गुर्जर निवासी सामरी तहसील चितौडगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चितौडगढ

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री धूकल राम कसवां, सदस्य

उपस्थित–
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2

निर्णय

दिनांक 31.10.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज वादी छोगा ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सामरी स्थित आराजी खसरा नम्बर 139 रकबा 1.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.12हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.33हैक्टयर गत खसरा नम्बर 42/1 एवं 95/1 कुल किता दो कुल रकबा 05बीघा 01बिस्वा भूमि उसकी खातेदारी में दर्ज है, जिस पर वह काबिज काश्त है। मौजा सामरी में छोगा वल्द मोती गुर्जर नाम का एक अन्य व्यक्ति ओर से उसकी मृत्यु हो गयी, जिससे वर्तमान सेटलमैन्ट में उक्त दोनों खसरा नम्बरान की आराजी मृतक छोगा के खाते अंकित कर दी जबकि उक्त आराजी उसकी खातेदारी में दर्ज नहीं रही है, ना ही कब्जा काश्त है। छोगा की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 201 से उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जबकि वादी छोगा पुत्र मोती जीवित होकर उक्त विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। अतः वादी को विवादित आरजाी का खातेदारी घोषित कर वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की गयी। तत्पश्चात् वादी पक्ष की बहस सुनी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–03–2001 से वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर वाद डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–01–2003 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–03–2002 को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर वादी अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना व विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि विवादित भूमि वादी की खातेदारी में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, जिस पर वह काबिज काश्त है। मौजा सामरी में छोगा वल्द मोती गुर्जर नाम का एक अन्य व्यक्ति ओर था, जिसकी मृत्यु हो गयी, वर्तमान सेट्लमैन्ट में उक्त दोनों खसरा नम्बरान की आराजी मृतक छोगा के खाते अंकित होना तथा छोगा की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 201 से उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम त्रुटिवश दर्ज कर दी जबकि वादी छोगा पुत्र मोती जीवित होकर उसकी खातेदारी की आराजी पर काबिज काश्त है। उनका कथन है कि प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की कि वे आराजी खसरा नम्बर 139 व 583 के किसी भी हिस्से के खातेदार थे। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं थी। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपील में उल्लेखित कथनों से बाहर जाकर पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये

जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने उनके पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी विरासत के नामान्तरकरण से उनके पक्षकार के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि गत भू–प्रबन्ध में वादी की खातेदारी में 05बीघा 01बिस्वा भूमि थी, जो नवीन भू–माप अनुसार वादी के नाम 1.10हैक्टयर बनती है जबकि वादी को 1.33 हैक्टयर भूमि दी गयी है, जिसका वह अधिकारी नहीं है। उनका कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में उनके पक्षकार के खाते की भूमि कम हुई है, जो उसे मिलनी चाहिए। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नही है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी छोगा ने विचारण न्यायालय के

समक्ष प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सामरी स्थित आराजी खसरा नम्बर 139 रकबा 1.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.12हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.33हैक्टयर गत खसरा नम्बर 42/1 एवं 95/1 कुल किता दो कुल रकबा 05बीघा 01बिस्वा भूमि उसकी खातेदारी में दर्ज है, जिस पर वह काबिज काश्त है। मौजा सामरी में छोगा वल्द मोती गुर्जर नाम का एक अन्य व्यक्ति ओर से उसकी मृत्यु हो गयी, जिससे वर्तमान सेट्लमैन्ट में उक्त दोनों खसरा नम्बरान की आराजी मृतक छोगा के खाते अंकित कर दी जबकि उक्त आराजी उसकी खातेदारी में दर्ज नहीं रही है, ना ही कब्जा काश्त है। छोगा की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 201 से उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जबकि वादी छोगा पुत्र मोती जीवित होकर उक्त विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। अतः प्रतिवादीगण के नाम हुए इन्द्राज को निरस्त किया जाकर वादी को विवादित आराजी का खातेदारी घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, चितौडगढ का पत्र दिनांक 19–02–2001, हल्का पटवारी, सामरी की ओर से तहसीलदार को लिखा गया पत्र दिनांक 17–02–2001 तथा उसके साथ संलग्न मौका पर्चा दिनांक 15–02–2001 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2041–44 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खाता संख्या 22 खसरा नम्बर 139 एवं खसरा नम्बर 583 कुल किता 2 कुली रकबा 1.33 हैक्टयर छोगा पिता मोती गुर्जर के नाम तथा खाता संख्या 23 की आराजी खसरा नम्बर 43, 249, 252, 543, 544, 549, 552, 1079, 1122 एवं 1126 कुल किता 10 रकबा 2.41हैक्टयर छोगा पिता मोती गुर्जर की नाम दर्ज थी। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2045–48 की जमाबन्दी में भी भूमि अलग अलग खाता संख्या 30 व खाता संख्या 31 में दर्ज थी। तत्पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 52 में अलग अलग अलजग खाता संख्या 30 व 31 की भूमि एक ही खाता नम्बर 39 में कुल

किता 12 रकबा 3.74 हैक्टयर दर्ज होने से नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 5–12–1996 से छोगा पिता मोती की विरासत से देवीलाल व भैरूलाल पि. छोगा के नाम दर्ज हो गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत पत्र एवं मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 139 व 583 कुल किता 2 कुल रकबा 1.33हैक्टयर का खातेदार छोगा पिता मोती गुर्जर का अलग खाता था, जिस पर वह काबिज काश्त है तथा वर्तमान में जीवित है तथा उसके नाम विवादित आराजी दर्ज करने की सिफारिश तहसीलदार को की गयी। तत्पश्चात् तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी से उक्त इन्द्राज दुरूस्ती की सिफारिश भी की गयी है। उक्त से स्पष्ट है कि विवादित आराजी विरासत के नामान्तरकरण में गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी थी। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक गवाहान द्वारा भी यह स्पष्ट रूप से सशपथ कथन किया कि ग्राम सामरी में एक ही नाम के तथा एक ही वल्दियत के दो व्यक्ति थे, जिनके अलग अलग खाते में भूमि दर्ज थी किन्तु एक छोगा के देहान्त उपरान्त विरासत के नामान्तरकरण से दूसरे छोगा की आराजी मृतक छोगा के वारिसान के नाम नामान्तरकण संख्या 232 से दर्ज कर दी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में उल्लेखित कथनों से बाहर जाकर प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि ग्राम सामरी में एक ही नाम के तथा एक ही वल्दियत के दो व्यक्ति थे, जिनके अलग अलग खाते में विभिन्न खसरा नम्बरान की भूमि दर्ज थी किन्तु एक छोगा के देहान्त

उपरान्त विरासत के नामान्तरकरण से दूसरे छोगा की आराजी मृतक छोगा के वारिसान के नाम नामान्तरकण संख्या 232 से दर्ज कर एक ही खाता कायम कर दिया, जो उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत है। उक्त परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय से निरस्त किया जाने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-01-2003 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-03-2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य